विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/159 दिनांक : 7/6/17

प्रति,

प्राचार्य,
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन, रिसर्च सेंटर
ग्राम–कनावटी,जिला–नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मे निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/66,दिनांक 13.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर ग्राम कनावटी,नीमच में सत्र 2017–18, से बी.ए.बी.एड.–प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.ए.बी.एड.–प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति तीन माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.बी.एड.–प्रथम वर्ष(चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	100

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत पर्याप्त शिक्षको की नियुक्ति की जावे।

03. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की व्यवस्था हो।

04. पुरूष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन भवन में अलग–अलग भाग में स्थापित हो।

05 साइकोलॉजी प्रयोगशाला एवं क्रीड़ा सामग्री की ओर आवश्यकता है।

06. मल्टीपरपस हॉल और सव्यवस्थित होना आवश्यक है।

07 विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(1)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू.25,000/–(अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र),की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तनुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो,रसीद प्रस्तुत करें।

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 352 दिनांक : 14-6-17

प्रति,

प्राचार्य,
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन, रिसर्च सेंटर
ग्राम--कनावटी,जिला--नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/61,दिनांक 08.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर ग्राम कनावटी,नीमच में सत्र 2017--18, से बी.एससी.बी.एड.--द्वितीय वर्ष,पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017--18 से बी.एससी.बी.एड.--द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति तीन माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर नितात अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017—18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :—

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एससी.बी.एड.—द्वितीय वर्ष(चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	50

शर्ते :—01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06..2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
03. प्रयोगशालाओं का उन्नय कार्य शिघ्र कराया जाये.

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 661 दिनांक : 11/7/17

प्रति,

प्राचार्य,
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर
कनावटी, जिला–नीमच।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक / 10 दिनांक 10.04..2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर,कनावटी,जिला–नीमच,में सत्र 2017–18,में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 में बी.एड.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. पुस्तकालय में समाज विज्ञान की विषय से सम्बन्धित पुस्तकें क्रय की जाये,मध्यप्रदेश शासन के गजेटियर पुस्तकालय के लिए मंगाए जाए।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता–निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02